

!! आदेश !!

ईज आफ ड्रूईंग बिजनेस के अन्तर्गत उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-143 के अन्तर्गत अनुज्ञा से संबंधित एप्लीकेशन वेबसाईट landuse.uk.gov.in पब्लिक डोमेन में होस्ट की गई है। तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या:-7370/2017 दिनांक 03-03-2017 के द्वारा राजस्व परिषद् स्तर पर इसके क्रियान्वयन हेतु किसी एक अधिकारी को नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है। परिषद् के पत्र संख्या:-1768/रा०प०-016, दिनांक 29 जून 2016 व पत्र संख्या-1770/रा०प०-2016, दिनांक 29 जून 2016 के द्वारा श्री गिरीशचन्द्र गुणवंत, स्टाफ आफीसर, राजस्व परिषद् को वेबसाईट के उपयोग हेतु यूजर नामित किया गया है तथा परिषद् के आदेश संख्या:-4392/रा०प०/कार्य विभाजन/2016, दिनांक 18 नवम्बर 2016 के अनुसार राजस्व परिषद् की वेबसाईट को अपडेट करने आदि कार्य श्रीमती सोनिया पन्त, प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून को सौंपा गया है।

अतः तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून के उक्त पत्र के अनुक्रम में, ईज आफ ड्रूईंग बिजनेस के अन्तर्गत उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-143 के अन्तर्गत अनुज्ञा से संबंधित एप्लीकेशन वेबसाईट landuse.uk.gov.in के क्रियान्वयन आदि कार्यवाही हेतु अब राज्य/परिषद् स्तर पर श्रीमती सोनिया पन्त, प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून को नामित किया जाता है।  
दिनांक 15.03.2017

सुरेन्द्र नारायण पाण्डे  
आयुक्त एवं सचिव

श्री अनूप

क० आव० प्र०  
कार्यवाही के

20/03/17  
प्र० उ० प्र०

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या:- 6245/142(2) रा०प० 2012-13, दिनांक: 16 मार्च, 2017 ।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 2- सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- श्रीमती सोनिया पन्त, प्र० उप राजस्व आयुक्त राजस्व परिषद् ।
- 4- श्री जी०एस० गुणवंत, स्टाफ आफीसर राजस्व परिषद्
- 5- तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 5-

(विप्रा त्रिवेदी)

उप राजस्व आयुक्त(भू०व्य०)  
राजस्व परिषद् ।